न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्र0क0 1650–पीबीआर/2008 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 18–12–2008 पारित व्दारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 65/2007–08 निगरानी

महावीर सिंह पुत्र प्रभुसिंह गुर्जर
(मृतक) वारिस
1–श्रीमती सियावाई पत्नि स्व.महावीर सिंह
2– संतोष पुत्र स्व.महावीर सिंह
3– कु. गिरजा 4– कु. अंजु
दोंनों पुत्रियां स्व.महावीर सिंह
ग्राम हिंगोना खुर्द तहसील व जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– नत्थी सिंह पुत्र गजुआ काछी
2– ओमप्रकाश सिंह पुत्र प्रभूसिंह गुर्जर
दोनों निवासी ग्राम हिंगोना खुर्द
तहसील व जिला मुरैना ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)
(अनावेदक क–2 के अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल)

आ दे श

(आज दिनांक \ फरवरी, 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 65/2007–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–12–2008 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम हिंगोना खुर्द स्थित भूमि सर्वे कमांक 422 रकबा 1.275 हैक्टर आवेदक एंव अनावेदकगण के नाम सामिलाती दर्ज थी। पक्षकारों व्दारा बटवारे की मांग पर

पटवारी हलका नबर 15 ने ग्राम की नामांत्रण पंजी पर दिनांक 1.10.2001 को प्रविष्टि दर्ज कर इस्तहार का प्रकाशन किया तथा निर्धारित समय में आपत्ति न आने पर पक्षकारों की सहमति के आधार पर ग्राम पंचायत व्दारा प्रस्ताव/ठहराव कमांक 15 आदेश दिनांक 19-10-2001 से बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक कमांक 1 ने अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 24/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 26-10-07 से अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 19-10-2001 से किया गया बटवारा निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार मुरेना को हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व कलेक्टर जिला मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 2/07-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-1-2008 से निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार करके अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना का आदेश दिनांक 23-1-08 निरस्त कर प्रकरण अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 65/2007-08 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2008 से कलेक्टर जिला मुरैना का आदेश दिनांक 23-1-2008 निरस्त किया गया एंव ग्राम पंचायत व्दारा ठहराव कमांक 1/15 दिनांक 18-9-2001 को सॅशोधित कर 6 विसवा भूमि पर आवेदक का एंव शेष भूमि पर नत्थी सिंह का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओ पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम हिंगोना खुर्द स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 422 रकबा 1.275 हैक्टर आवेदक एंव अनावेदकगण के नाम सामिलाती दर्ज रही है जिसके बटवारे की मांग पर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव/ठहराव क्रमांक 15 आदेश दिनांक 19-10-2001 से बटवारा किया गया है जिसके विरूद्व प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी मुरैना को, तदुपरांत कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई है, जबकि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा निगरानी क्रमांक 65/2007-08 में आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2008 से कलेक्टर जिला मुरैना का आदेश दिनांक 23-1-2008 निरस्त करते हुये ग्राम पंचायत व्दारा ठहराव क्रमांक 1/15 दिनांक 18-9-2001 सॅशोधित करते हुये मात्र 06 विसवा भूमि पर आवेदक का शेष भूमि पर नत्थी सिंह का नाम दर्ज करने के आदेश दिये है। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 18-9-2001 में एंव कलेक्टर जिला मुरैना ने आदेश दिनांक 23-1-2008 में तथा अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने आदेश दिनांक 26-10-2007 में यह माना है कि ग्राम हिंगोना खुर्द स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 422 रकबा 1.275 हैक्टर का बटवारा करते समय पक्षकारों की सहमति नहीं ली गई है। अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के प्रकरण क्रमांक 24/2006-07 में अपील मेमो के संलग्न नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 01 प्रविष्टि दिनांक 1-10-2001 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत हुई है जिस पर सहमति वावत् नत्थी का निशानी अॅगूठा लगा है एंव महावीर तथा ओमप्रकाश के हस्ताक्षर हैं तब यह नहीं माना जा सकता कि बटवारा करते समय पक्षकारों की सहमति नहीं ली गई है। जहॉ तक भूमि में किस पक्षकार का कितना स्वत्व है - स्वत्व विवाद के निराकरण हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं

है। भूमि कम-बढ़ के अनुपात वावत् आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार सहमति बटवारे में पक्षकारों की सहमति से भूमि की किस्म अथवा धन लेकर भूमि के परित्याग को नकारा नहीं जा सकता, परन्तु तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण की वास्तविक स्थिति में न पहुंचकर पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाने का प्रयास किया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 65/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2008 , कलेक्टर जिला मुरैना प्रकरण क्रमांक 2/07-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-1-2008 तथा अनुविभागीय अधिकारी मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 24/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 26-10-07 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव ग्राम की नामांत्रण पंजी के सरल क्रमांक 01 पर प्रविष्टि दिनांक 1.10.2001 में पक्षकारों की सहमति अनुसार ग्राम पंचायत व्दारा प्रस्ताव/ठहराव क्रमांक 15 आदेश दिनांक 19-10-2001 किया गया बटवारा यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर